गया समाहरणालय, गया
(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक 909 /रा0
दिनांक 05/03/2022 ई0।

फोन नं0 :– 0631–2221024
ई–मेल :– adm.rev.gaya @gmail.com

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता
गया।

सेवा में,

संयुक्त सचिव–सह–
अपर विधि परामर्शी,
विधि विभाग, बिहार।

विषयः– बिहार विधान सभा में दिनांक 07.03.2022 को ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– विधि विभाग का पत्रांक 815, दिनांक 18.02.2022 तथा भवदीय के पत्रांक 1255/जे० दिनांक 05.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है धार्मिक न्यास से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन निम्नांकित है–

क्र0सं०	वाँछित प्रतिवेदन	अनुपालन प्रतिवेदन
1	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 4850/2021 (ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NO.-33675 OF 2017) के अनुसार मंडिका–27 में देश के सभी राज्यों के मठ/मंदिरों की परिसम्पत्तियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नहीं है, सेवादार हकदार नहीं है। सेवादार का नाम सिर्फ राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में ही रह सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन।	गया जिला में सभी अंचल अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन देने हेतु निदेश दिया गया है।
2	अपने अधीनस्थ क्षेत्र के अधीन मठ/मंदिर, जो निबंधित/अनिबंधित है, का कुल संख्या प्रमंडलवार/जिलावार खाता, खेसरा, रकवा (एकड़) में उपलब्ध कराया जाय। साथ ही दरभंगा प्रमंडल में 5533 एकड़, मुंगेर प्रमंडल में 3373 एकड़, तिरहुत प्रमंडल में 5800 एकड़ भूमि से संबंधित वाँछित सूचना के संबंध में संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराये।	गया जिला में निबंधित/अनिबंधित मठों की कुल संख्या 258 है तथा सन्नहित रकवा 849.58 एकड़ है। न्यासवार मंदिर/मठों की सूची खाता एवं खेसरा के साथ संलग्न है।
3	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अन्तर्गत चिन्हित/सर्वेक्षित मठ/मंदिर की भूमि की पैमाईश कराकर पिलरिंग हेतु वाँछित राशि से संबंधित आवंटन का मांग प्रतिवेदन।	गया जिला में 849.58 एकड़ धार्मिक न्यास की जमीन है। प्रति एकड़ 50000/–(पचास हजार) रूपये की दर से 4.25 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। गया जिला के सभी अंचल अधिकारियों से अंचलवार सर्वेक्षण के उपरान्त लागत खर्च की विवरणी की मांग की गयी है।
4	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अन्तर्गत मठ/मंदिर की वैसी जमीन जिस पर अवैध कब्जा है, उसकी पूरी सूची एवं उसे मुक्त कराने एवं बिक्री पर रोक लगाने की क्या कार्रवाई की गयी, इससे संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन।	वर्तमान में जाँचोपरान्त अभी तक गया जिला में 03 धार्मिक न्यासों में अवैध कब्जा का मामला प्रकाश में आया है। जिनमें एक मामला के विरूद्ध अवैध जमाबन्दी को रद्द करने का आदेश पारित किया जा चुका है तथा 02 मामला प्रक्रियाधीन है। धार्मिक न्यास की 2300 एकड़ भूमि पर बिक्री करने हेतु रोक लगाया गया है।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
5/3/2022
अपर समाहर्त्ता,
गया।

Scanned with CamScanner